



उत्तराखण्ड कारागार

दूरभाष एवं फैंक्स नं. 0182-260321  
ईमेल.आई.डी. roorkjeejail@gnai.gov.in

**। कार्यालय अधीक्षक उप कारागार रुड़की, जनपद— हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।**

पत्रांक:- 1170 / मु0का0-सू0अ0अ0(निर्देश) / 2019  
सेवा में,

दिनांक: 24 नवम्बर 2019

महानिरीक्षक कारागार  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- कार्यालय महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 1663/141/सू0अ0अ0(निर्देश)/  
2008 देहरादून दिनांक: 07 नवम्बर 2019 के अनुपालन में उप कारागार रुड़की से सम्बन्धित सूचना  
विशेष डाक वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 1663/141/सू0अ0

अ0(निर्देश)/2008 देहरादून दिनांक: 07 नवम्बर 2019 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या: 2195/133/सू0अ0अ0-  
69(सू0सू0आ0)/2013, दिनांक: 26 सितम्बर 2013 में उल्लिखित विभागीय सूचनाएं कमरा: बन्दु संख्या: 01 से 11  
तक उक्त शासनादेश के अन्तर्गत उप कारागार रुड़की से दिनांक: 25.11.2019 तक विशेष डाक वाहक के माध्यम  
से चाही गयी थी। जिन्हें इस कारागार के पत्रांक: 1132/मु0का0-सू0अ0अ0(निर्देश)/19 दिनांक: 18.11.2019 के  
द्वारा पूर्व में कार्यालय महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड देहरादून को पंजीकृत डाक एवं ई0मेल के द्वारा प्रेषित की  
जा चुकी है। महोदय दिनांक: 18.11.2019 को प्रेषित की गयी सूचना की प्रमाणित छाया प्रति मुख्यालय  
महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 1663/141/सू0अ0अ0(निर्देश)/2008 देहरादून दिनांक: 07  
नवम्बर 2019 के अनुपालन में इस कारागार के पत्र वाहक श्री प्रवीन चौहान के द्वारा प्रेषित की जा रही है। कृपया  
प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यप्रोपरि

2580

प०सू०  
[Signature]

25/11/19

रुड़की  
[Signature]  
अधीक्षक  
उप कारागार रुड़की



उत्तराखण्ड सरकार

दूरभाष एवं फ़ैक्स: 01332-267321  
ई-मेल: आई.डी. रूरकेजेल@rediffmail.com

## । कार्यालय अधीक्षक उप कारागार रूड़की, जनपद— हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।

पत्रांक:— 1132/मु0का0-सू0अ0अ0(निर्देश)/2019  
सेवा में,

दिनांक: 11 नवम्बर 2019

महानिरीक्षक कारागार  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:— दिनांक: 07 11 2019 को प्रेषित पत्र के द्वारा उप कारागार रूड़की से सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हेतु विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्वतः प्रकटन के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 1663/141/सू0अ0

अ0(निर्देश)/2008 देहरादून दिनांक: 07 नवम्बर 2019 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या: 2895/xxxi(13)G-69(रा0सू0आ0)/2013, दिनांक: 26 सितम्बर 2013 में उल्लेखित विभागीय सूचनाएँ कमश: बिन्दु संख्या: 01 से 11 तक के क्रम में अवगत कराना है कि उप कारागार रूड़की से उक्त शासनादेश के अन्तर्गत अन्तर्गत चाही गयी सूचना बिन्दुवत् है:—

01. उप कारागार रूड़की में रुपये 25.00 लाख अथवा उससे अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं के सम्बन्धित किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
02. उप कारागार रूड़की में रुपये 10.00 लाख अथवा अधिक मूल्य की सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी है। अतः सूचना शून्य है।
03. उप कारागार रूड़की के द्वारा किसी भी संस्था को भूमि आवंटन नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
04. उप कारागार रूड़की में किसी भी प्रकार का कोई खनन नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
05. उप कारागार रूड़की के द्वारा राज्य की भू-विधियों के अनुसार, राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत किसी भी भूमि का कय नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
06. बिन्दु 06 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
07. बिन्दु 07 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
08. बिन्दु 08 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
09. बिन्दु 09 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
10. बिन्दु 10 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
11. बिन्दु 11 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

Photo copy attested

24/11/19

उप कारागार रूड़की

भवदीय

*[Signature]*

अधीक्षक

उप कारागार रूड़की

*[Signature]*



उत्तराखण्ड सरकार

दूरभाष एवं फैक्स— 01332.262321  
ई.मेल.आई.डी.— roorkocjail@gmail.com

**। कार्यालय अधीक्षक उप कारागार रुड़की, जनपद— हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।**

पत्रांक: 132/मु0का10-सू0अ0अ0(निर्देश)/2019  
सेवा में,

दिनांक: 18 नवम्बर 2019

महानिरीक्षक कारागार  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:— दिनांक: 07.11.2019 को प्रेषित पत्र के द्वारा उप कारागार रुड़की से सरकार की कार्यपाली में पारदर्शिता हेतु विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्वतः प्रकटन के सम्बन्ध में सूचना का विषय।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: 1863/141/सू0अ0

अ0(निर्देश)/2008 देहरादून दिनांक: 07 नवम्बर 2019 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या: 2895/xxxi(13)G-69(रा0सू0आ0)/2013, दिनांक: 26 सितम्बर 2013 में उल्लेखित विभागीय सूचनाएँ कमशः बिन्दु संख्या: 01 से 11 तक के क्रम में अवगत कराना है कि उप कारागार रुड़की से उक्त शासनादेश के अन्तर्गत अन्तर्गत बाही गयी सूचना बिन्दुवत् है:

01. उप कारागार रुड़की में रुपये 25.00 लाख अथवा उससे अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं के सम्बन्धित किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
02. उप कारागार रुड़की में रुपये 10.00 लाख अथवा अधिक मूल्य की सामग्री की आपूर्ति नहीं की गयी है। अतः सूचना शून्य है।
03. उप कारागार रुड़की के द्वारा किसी भी संस्था को भूमि आवंटन नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
05. उप कारागार रुड़की में किसी भी प्रकार का कोई खनन नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
05. उप कारागार रुड़की के द्वारा राज्य की भू-विधियों के अनुसार, राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत किसी भी भूमि का कय नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य है।
06. बिन्दु 06 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
07. बिन्दु 07 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
08. बिन्दु 08 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
09. बिन्दु 09 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
10. बिन्दु 10 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
11. बिन्दु 11 की सूचना इस कारागार से सम्बन्धित नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

22/11/19

उपरोक्त  
अधीक्षक  
उप कारागार रुड़की